

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक प.7(इ)()डीएलबी/12/9770-9967

दिनांक 08-11-12

सचिव जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/
अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका(समस्त)
सचिव, नगर विकास न्यास(समस्त)

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2012 से 25 दिसम्बर 2012 तक प्रशासन शहरों के संग अभियान लागू किये जाने बाबत निर्धारित लिया जा चुका है। अभियान को सफल बनाने हेतु कृषि भूमि पर बसी अनाधिकृत कॉलोनियों, स्टेट ग्रान्ट एक्ट एवं कच्ची बस्तियों से संबंधित नियमन के प्रकरणों में लेआउट प्लान, 90क(8) के तहत कार्यावाही, आवेदक से संबंधित प्रार्थना पत्र एवं अन्य बिन्दु पर एकरूपता के आधार पर पत्रावलियां तैयार करने के लिए संलग्न परफोर्मा के फोर्मेट अनुमोदन पश्चात आपको प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि अनुमोदित फार्मेट में लेआउट प्लान, पत्रावलियां एवं पट्टे तैयार किये जाने की कार्यावाही अविलम्ब प्रारम्भ कर दी जावे।

पूर्व में यदि लेआउट प्लान तैयार किये जा कर अनुमोदन की कार्यावाही हेतु नगरीय निकायों के स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है तो ऐसे प्रकरणों में तदानुसार कार्यावाही की जा सकेगी।

उक्त आदेश नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति उपरान्त जारी किया जाता है। आदेश की पालना समस्त नगरीय निकायों द्वारा सुनिश्चित की जावे।

शासन उपसचिव

क्रमांक प.7(इ)()डीएलबी/12/9968-70

दिनांक 08-11-12

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त जविप्रा/जोविप्रा।
4. समस्त सचिव नगर विकास न्यास।
5. समस्त संबंधित अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका।
6. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के अन्तर्गत डेडीकेटेड कन्सलटेण्ट्स द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति

स्थानीय निकाय का नाम

डेडीकेटेड कन्सलटेण्ट्स का नाम एवं पता :

17.6.55

आइटम संख्या

कार्य का नाम

क्र.सं.	राजस्व ग्राम खसरा संख्या तथा क्षेत्र का नाम	नगरपालिका द्वारा जारी कार्यदेश संख्या व दिनांक (मय कुल कालोनी)		टोटल स्टेशन सर्वे व दिनांक	टोटल स्टेशन सर्वे पर खसरा मानचित्र का सुपर इम्पोजिशन एवं मास्टर प्लान पर सुपर इम्पोजिशन			भूमि का मास्टर प्लान के अनुसार मै-उपयोग	ले-आउट सबमीशन	ले-आउट प्लान का विभागीय सत्यापन	राजस्व शाखा से अनुमोदन	डेडीकेटेड कन्सलटेण्ट्स द्वारा किये गये कार्यों का मुगतान			नगर नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित की दिनांक		90ए की कार्यवाही हेतु जन संचना	साईट प्लान तैयारी	अनुमोदित ले-आउट प्लान अनुसार कुल मै-खण्डों की संख्या	पत्रावलियां तैयार (मय) समस्त वांछित दस्तावेज (संलग्न)	विशेष विवरण
		कार्यदेश संख्या व दिनांक	संख्या		खसरा नक्शा सम्बन्धित पटवारी से प्राप्त करना	डिजीटाईजेशन (खसरा नक्शा)	सर्वे सुपर इम्पोजिशन (खसरा मानचित्र + मास्टर प्लान)					बिल प्राप्ति की दिनांक	RUIFDCO को प्रेषित दिनांक	बिल की भुगतान दिनांक	नगर नियोजन विभाग को प्रेषित की दिनांक	नगर नियोजन विभाग से प्राप्ति की दिनांक					
	1	2(1)	2(2)	3	4(1)	4(2)	4(3)	5	6	7	8	9(1)	9(2)	9(3)	10(1)	10(2)	11	12	13	14	15

प्रशासन शहरों के संग अभियान
पत्रावली तैयार करना

1

योजना का नाम (यदि नहीं हो तो सैक्टर/वार्ड संख्या):

खसरा नम्बर:

मास्टर प्लान में भू उपयोग :

90 अ (8) का विवरण: लोकसूचना क्र.सं. दिनांक


सैक्टर / जोन / वार्ड संख्या :

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या ले आउट प्लान के अनुसार	आवेदक का नाम	जाति	उम्र	पिता/पति का नाम	टेलिफोन नं. मोबाईल नं.	जोन/ वार्ड संख्या	भूखण्ड नाप				भूखण्ड पर निर्माण की स्थिति	भूखण्ड का मौके पर उपयोग	भूखण्ड के स्वामित्व से सम्बन्धित कानूनी दस्तावेज विक्रय पत्र/इकरारनामा /सोसायटी पट्टा/ सरकारी भूमि पर कब्जा	पूर्व में कोई शुल्क जमा करवाया है।	भूमि का प्रकार स्थानीय निकाय/फोरेस- ट/मन्दिर माफी	17.6.99 से पूर्व का कोई दस्तावेज अगर है तो उसका प्रकार लिखे	पट्टा लेने के इच्छुक है।
								पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		

नोट: 1. खाली भूखण्ड / बन्द आवासों की सूचना में अगर आवेदक नहीं मिलता है तो भूखण्ड का मौकानुसार नाप दर्ज करें।

22

भूमि के आवेदन/नियमितीकरण के लिए आवेदन



प्रेषिती,
सचिव/मुख्य नगरपालिक अधिकारी,

.....
.....

{ स्थानीय प्राधिकारी का नाम }

1.	(क) आवेदक का नाम	
	माता/ पिता का नाम	
	डाक का पता	
	(ख) यदि आवेदन अन्य की ओर से फाइल किया गया है तो मुख्तारनामे की प्रमाणित प्रति (यदि लागू नहीं हो तो लिखे लागू नहीं है)	
	(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, संगम ज्ञापन/संगम-अनुच्छेद और प्राधिकृत निदेशक के पक्ष में बोर्ड के निदेशकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति (यदि आवेदक कम्पनी है) (यदि लागू नहीं हो तो लिखे लागू नहीं है)	
	(घ) रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (यदि आवेदक फर्म/संस्था है) (यदि लागू नहीं हो तो लिखे लागू नहीं है)	
	(ङ) राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी अधिनियम, 2010 (यदि लागू हो) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र (यदि लागू नहीं हो तो लिखे लागू नहीं है)	
2.		
	(1) खसरा संख्या, राजस्व ग्राम और तहसील का नाम (यदि आवेदक को ज्ञात हो तो)	
	(2) क्षेत्र या भूमि के अन्य ब्यौरे :-	
	(i) योजना का नाम	
	(ii) गृह निर्माण सहकारी समिति यदि हो, तो उसका नाम	
	(iii) भूखण्ड संख्या	
	(iv) भूखण्ड का माप (उ०, द०, पू०, प०)	
	(v) भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गगज में)	
	(vi) भूखण्ड का मौके पर उपयोग	
3.	स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजों की उपलब्ध प्रमाणित प्रति और आवेदित भूमि के ब्यौरे	
	(क) प्रारूप-15 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित शपथपत्र	

2

	(ख) प्रारूप-16 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित बंधपत्र	
	(ग) हक/पट्टे का सबूत	
	(घ) विक्रय विलेख/विक्रय करार/वसीयत/मुख्तारनामे की प्रति / सोसायटी पट्टा /अन्य दस्तावेज	
	(ड0) अभिन्यास योजना (ले-आउट/साईट-प्लान)	
	(च) यदि भूखण्ड की सीमा में कोई एचटी/एलटी लाईन या ट्रांसफार्मर है	
	(छ) यह सबूत कि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग 17 जून, 1999 से पूर्व किया गया है	
	(ज) आवेदक की पहचान का सबूत	
4.	नियमों के अधीन निक्षिप्त प्रीमियम की रकम और चालान सं. और तारीख	
5.	(क) लम्बित न्यायालय प्रकरण (यदि कोई हों)	
	(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित रोक आदेश या व्यादेश के ब्यौरे	
6.	दस्तावेजों की कुल संख्या	
7.	पृष्ठों की कुल संख्या	
8.	आवेदन की तारीख	

आवेदन सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित शपथ-पत्र, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित बंधपत्र और ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रयोजन (गैर-कृषिक उपयोग का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करें) के लिए भूमि के नियमितीकरण के लिए इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

घोषणा

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आवेदक का पता

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

- जो लागू न हो उसे काट दें।

प्राप्ति

आवेदक ने दिनांक को आवेदन प्रस्तुत किया जो रजिस्टर में क्र.स. पर दिनांक को रजिस्ट्रीकृत किया गया। मामला लागू नियमों के अनुसार प्रक्रियागत और निपटाया जायेगा। बैठक की तारीख और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हों, के संबंध में जानकारी 7 दिन के भीतर-भीतर या तो दूरभाष से दी जायेगी या स्थानीय प्राधिकारी की वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

प्राप्तकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

XL

प्ररूप-15
 { नियम-16(1) देखिए }
 शपथ पत्र



मैं/हम श्री..... पुत्र श्री आयु
 निवासी ग्राम
 तहसील..... जिला

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप से शपथ लेता हूँ/लेते हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं:-

1. यह कि मैं/हम निम्नानुसार वर्णित भूमि का/के स्वामी/कब्जा धारक हूँ/हैं और प्ररूप 14 में मेरे/हमारे पक्ष में आवंटन तथा पट्टा विलेख जारी करने के लिए आवेदित भूमि के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक आदेश/व्यादेश प्रवृत्त नहीं है और भूमि समस्त विल्लंगमों और विवादों से मुक्त है।

क्र.सं.	भूमि के ब्यौरा (कॉलोनी और भूखण्ड सं.)	क्षेत्र

2. कि मैं/हम, स्थानीय प्राधिकारी को विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार समस्त शोध और रकम का इसके द्वारा संदाय करने का पालन करूंगा/करेंगे।

3. यह कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देशों और आदेशों का आवेदकों द्वारा पालन किया जायेगा।

4. यह कि आवेदित भूमि दी गयी अनुज्ञा में उल्लिखित प्रयोजन के लिए ही उपयोग में ली जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी के विहित मानकों के अनुसार और अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार विकसित की जायेगी।

5. यह कि आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य एवं प्रमाणिक है और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन


मैं, उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त शपथपत्र के पैरा 1 से 5 तक की अन्तर्वस्तु सत्य और सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है। अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

अभिसाक्षी

मेरे द्वारा पहचान किया गया:

५५

प्ररूप-16
 { नियम-16(1) देखिए }
 क्षतिपूर्ति बंधपत्र



मैं/हम श्री..... पुत्र श्री आयु
 निवासी ग्राम
 तहसील..... जिला

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप से शपथ लेता हूँ/लेते हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं:-

1. यह कि मैं/हम निम्नानुसार वर्णित भूमि, प्ररूप 14 में भूमि के आवंटन और मेरे/हमारे पक्ष में पट्टा विलेख जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, का/के स्वामी हूँ/हैं।

क्र.सं.	भूमि के ब्यौरा (कॉलोनी और भूखण्ड सं.)	क्षेत्र

2. यह कि मैं/हम मामले में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन और पट्टा विलेख जारी करने के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए इसके द्वारा स्वयं को पाबन्द करता हूँ/करते हैं।

3. यह कि मैं/हम स्कीम के अनुमोदन और भूमि के आवंटन के कारण मामले में उत्पन्न किसी विवाद के कारण या आवेदक द्वारा कोई कार्य करने या लोप के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी इसके द्वारा स्वयं को पाबन्द करता हूँ/करते हैं।

4. यह कि स्थानीय प्राधिकारी को, आवेदक की ओर से किसी शर्त, नियम या आदेश के भंग पर आवंटन को निरस्त करने और अभिन्यास योजना के अनुमोदन को प्रत्याहृत करने का अधिकार होगा और आवेदक इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को कारित किसी धनीय हानि के लिए दायी होगा।

आवेदक

4

प्ररूप-13

{ नियम 13(2) देखिए }

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय,

सं.

दिनांक.....

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि खसरा सं., ग्राम, तहसील (तालिका में दर्शाये अनुसार), जिला में स्थित भूमि या उसके भाग का 17 जून, 1999 से पूर्व की कालावधि से गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए निम्न भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी हैं:

तहसील व जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र

अतः उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के भीतर-भीतर कारण बतायें कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्त निहित किया जा सके।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन (वर्ष) के(मास) के दिन की जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक :

स्थान :

(हस्ताक्षर, नाम और पदनाम)

4

सोसायटी/खातेदार द्वारा दिनांक 17.06.99 से पूर्व विकसित कालोनियों के नियमन हेतु भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-अ(8) के तहत ले आउट प्लान अनुमोदन की कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी/सक्षम कमेटी के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत की जाने वाली नोटशीट का प्रारूप:-

पार्ट-ए - 90-अ(8) से सम्बन्धित:-

क.सं.	रिपोर्ट	डेडीकेटेड सलाहकार फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर												
1.	भू-स्वामी का नाम (राजस्व दस्तावेज के अनुसार)													
2.	योजना में भूखण्ड दिनांक 17.06.99 से पूर्व काटे जाने से सम्बन्धित विवरण	विकसित/रिक्त भूखण्डों के नियमन से पूर्व सम्बन्धित भूमि के स्वामित्व बाबत लोकसूचना प्रकाशित की जाकर भूमि के सम्बन्ध आपत्ति आमंत्रित उपलब्ध जानकारी के आधार पर उक्त क्षेत्र में दिनांक 17.06.99 से पूर्व भूखण्ड काटे गये है अथवा पूर्व में उक्त भूमि की 90-अ(8) की कार्यवाही स्थानीय निकाय हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जा चुकी है, इस सम्बन्ध में निम्न दस्तावेजों में से कोई एक यथा इकरारनामा, बिजली, पानी, टेलिफोन व अन्य साक्ष्य जो 17.06.99 से पूर्व अकृषि परियोजनार्थ होना प्रमाणित करता है।												
3.	आवदेन के साथ संलग्न राजस्व संबंधी दस्तावेज													
I.	वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति	हल्का पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित/कम्प्यूटरीकृत अथवा राजस्व मण्डल की अपना खाता वेबसाईट से प्राप्त प्रति/सी पर उपलब्ध है।												
II.	सम्बन्धित खसरो के राजस्व नक्शे की प्रति	हल्का पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित नक्शे की प्रति अथवा राजस्व मण्डल की अपना खाता वेबसाईट से प्राप्त प्रति/सी पर उपलब्ध है।												
III.	सम्बन्धित क्षेत्र का वर्तमान सर्वे प्लान	सर्वे प्लान/सी पर उपलब्ध है।												
4.	नियमन की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल मय ग्राम तहसील	नियमन योग्य भूमि के खसरा नम्बर रकबा एवं खसरा नं. रकबा												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>राजस्व ग्राम</th> <th>खसरा नं.</th> <th>रकबा (है0/बीघा) राजस्व / सर्वे रिकार्ड के अनुसार</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	रकबा (है0/बीघा) राजस्व / सर्वे रिकार्ड के अनुसार								
क्र. सं.	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	रकबा (है0/बीघा) राजस्व / सर्वे रिकार्ड के अनुसार											
		कुल किता कुल रकबा हैक्ट. ग्राम तहसील में स्थित है।												

सहायक/जिला नगर नियोजक

सचिव/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी

डेडीकेटेड सलाहकार फर्म के प्रतिनिधि

पार्ट-ब -

6.	नियमन योग्य भूमि के स्वामित्व, कब्जा व मौका रिपोर्ट	नियमन की जाने वाली भूमि के दस्तावेजों के अनुसार भूमि का स्वामित्व खातेदार के पक्ष में है एवं भूमि पर मौकास्थिति के अनुसार काफी संख्या में आवास निर्मित हो चुके है व भूमि वर्तमान में निवास कर रहे परिवारों के कब्जे में है।
----	---	---

7.	भूमि अवाप्ति सम्बन्धी रिपोर्ट	नियमन की जाने वाली भूमि, (स्थानीय निकाय) या राज्य सरकार के अन्य किसी विभाग/बोर्ड/संस्था की किसी योजना में अवाप्ताधीन है/नहीं है।	
8.	नियमन योग्य भूमि का कोर्ट केस की रिपोर्ट स्थानीय निकाय में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार	स्थानीय निकाय में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार नियमन योग्य भूमि का किसी भी कोर्ट में वाद विचाराधीन नहीं है।	
9.	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता) नोट: (स्थानीय निकाय द्वारा एक साथ ही सम्पूर्ण नियमन योग्य क्षेत्र से सम्बन्धित खसरा नम्बरान की सूचना यथासम्भव सम्बन्धित तहसीलदार से प्राप्त की जावे, अगर सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र की सूचना में देरी की जाने की संभावना होने पर योजनावार सम्बन्धित खसरों की सूचना सम्बन्धित तहसीलदार से प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी)।	भूमि का मौका स्थिति अनुसार ले आउट प्लान/सी पर संलग्न है जिसको कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया जा चुका है/नहीं है।	
10.	क्या नियमन योग्य भूमि मन्दिर माफी, देवस्थान विभाग, सार्वजनिक एवं धार्मिक ट्रस्ट, राजस्थान भूमि सुधार एवं भू स्वामी की संपदा अधिनियम, 1963, राजस्थान कृषि जोत अधिनियम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1974 से प्रभावित है अथवा नहीं		
11.	क्या नियमन योग्य भूमि रेल्वे बाउण्ड्री, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, नदी, नाले, तालाब, डूब क्षेत्र, पार्क, सुविधा क्षेत्र का भाग है अथवा नहीं।		
12.	नियमन योग्य भूमि के खसरा प्लान को योजना मानचित्र पर सुपरइम्पोज करना	खसरा प्लान मय योजना मानचित्र /सी पर उपलब्ध है।	
13.	क्या नियमन योग्य भूमि पर मौके पर कोई विवाद है अथवा मौके पर स्थानीय निवासी द्वारा सर्वे करने में रुकावट अथवा विरोध किया गया है।		
14.	क्या नियमन योग्य भूमि पर मौके पर कोई विवाद है अथवा मौके पर स्थानीय निवासियों द्वारा सर्वे करने में रुकावट अथवा विरोध किया गया है।		
15.	क्या नियमन योग्य भूमि की नियमानुसार 90-अ(8) की जा सकती है? (हाँ/नहीं)	

पार्ट-स- ले आउट प्लान अनुमोदन से सम्बन्धित रिपोर्ट

16.	नियमन योग्य भूमि के खसरा प्लान को सैक्टर प्लान (यही है तो) के साथ सुपरइम्पोज कर रोड कनेक्टिविटी दर्शाते हुए मानचित्र	आवेदित भूमि क्षेत्र का सैक्टर प्लान बनाया/नहीं बनाया है परन्तु नियमन योग्य भूमि का खसरा प्लान पी.टी.सर्वे पृष्ठ संख्या /सी पर सुपरइम्पोज कर संलग्न किया गया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक दिनांक के तहत नियमन योग्य भूमि का मौके पर उपलब्ध सड़कों की चौड़ाई के आधार पर नियमन किया जाना प्रस्तावित है।																
17.	बिन्दु संख्या 9 में सत्यापित ले आउट प्लान को खसरा प्लान पर सुपर इम्पोज	ले आउट प्लान खसरा प्लान पर सुपरइम्पोज ... /सी पर संलग्न है।																
18.	नियमन योग्य भूमि का ले आउट प्लान के अनुसार वस्तुस्थिति नोट: 1 वर्गमीटर = 10.76 वर्ग फीट 1 वर्गगज = 9 वर्ग फीट 1 वर्गमीटर = 1.195 वर्ग गज 1 हैक्टेयर = 11,955 वर्ग गज	सर्वेक्षण कार्य के अनुसार भूखण्डों की स्थिति <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>भूखण्डों का विवरण</th> <th>भूखण्ड संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>पूर्व/आंशिक निर्मित भूखण्ड</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>चार दीवारी निर्मित भूखण्ड</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>खाली भूखण्ड</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल भूखण्ड</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	भूखण्डों का विवरण	भूखण्ड संख्या	1	पूर्व/आंशिक निर्मित भूखण्ड		2	चार दीवारी निर्मित भूखण्ड		3	खाली भूखण्ड			कुल भूखण्ड		
क्र.सं.	भूखण्डों का विवरण	भूखण्ड संख्या																
1	पूर्व/आंशिक निर्मित भूखण्ड																	
2	चार दीवारी निर्मित भूखण्ड																	
3	खाली भूखण्ड																	
	कुल भूखण्ड																	

	1 एकड़ = 4048 वर्गमीटर (दशमलव संख्या आने पर राउण्ड संख्या में अगली पूर्ण संख्या मान्य होगी, उदाहरणार्थ 9.84 वर्ग फीट के स्थान पर 10.00 वर्ग फीट एवं 9.35 वर्ग फीट को 9.50 वर्ग फीट माना जा सकेगा)	मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विश्लेषण		
		क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल वर्गगज में
		1	आवासीय	
		2	व्यावसायिक	
		3	सड़क	
		4	सुविधा क्षेत्र	
			कुल क्षेत्रफल	
19.	भू-उपयोग पैरामीटर के आधार पर ले आउट प्लान अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर	चूंकि योजना के कुल भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल प्रतिशत है। अतः इसमें छूट हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है/ नहीं है।		
20.	नियमन योग्य भूमि का मास्टर प्लान में भू-उपयोग	नियमन योग्य भूमि का मास्टर प्लान में भू-उपयोग क्षेत्र है, अतः भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता है/ नहीं है।		
21.	अगर नियमन योग्य भूमि पर हाईटेन्शन लाईन/नाला/प्रतिबन्धित/असुरक्षित क्षेत्र है तो इसका नियमानुसार प्लानिंग में समायोजन			
22.	अन्य विवरण (यदि हो तो)			
	क्या मौका स्थिति के अनुसार योजना में भूखण्ड संख्या उपलब्ध है अगर मौके पर भूखण्ड संख्या उपलब्ध नहीं तो डेडीकेटेड सलाहकार फर्म द्वारा ले आउट प्लान (योजनावार अथवा विभिन्न खसरा नम्बरान के एकीकृत ले-आउट प्लान) पर नवीन भूखण्ड संख्या डाली जावेगी।			

नोट:

- (अ) (i) धारा 90-अ(8) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर निर्णय हेतु प्रकरण उपयुक्त पाया गया/ नहीं पाया गया।
- (ii) योजना का ले आउट प्लान (जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान फॉर्म में तैयार किया गया है) अनुमोदन योग्य पाया गया, अतः सक्षम समिति के समक्ष ले आउट प्लान मूल पत्रावली सहित अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

सहायक/जिला नगर नियोजक कनिष्ठ अभियंता सचिव/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी डेडीकेटेड सलाहकार फर्म के प्रतिनिधि

योजना के ले आउट प्लान के अनुसार भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल प्रतिशत है अतः नियमानुसार / राज्य सरकार द्वारा दी गई शिथिलता के अन्तर्गत प्रकरण सक्षम ले आउट प्लान अनुमोदन कमेटी के समक्ष अनुमोदन अभिसंशा सहित प्रस्तुत है।

सचिव/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी

४

योजना का नाम (अगर है तो) का ले आउट प्लान, वार्ड सं.
तहसील नगर जिला, राजस्थान

नगरीय निकाय का नाम:
(प्राधिकरण/न्यास/ नगर निगम/ परिषद/पालिका)

KEY PLAN

सर्वेक्षण कार्य के अनुसार भूखण्डों का विवरण

क्र.सं.	भूखण्डों का विवरण	भूखण्ड संख्या
1	पूर्व/आंशिक निर्मित भूखण्ड	
2	चार दीवारी निर्मित भूखण्ड	
3	खाली भूखण्ड	
	कुल भूखण्ड	

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग विवरण

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल वर्गगज में
1	आवासीय	
2	व्यावसायिक	
3	सड़क	
4	सुविधा क्षेत्र (पार्क/सामुदायिक केन्द्र/संस्थानिक/एचटी/एलटी लाईन एवं अन्य इत्यादि)	
	कुल क्षेत्रफल	

योजना की मौके जॉच, सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना की सड़कों भू-उपयोग एवं क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित पूर्ण जॉच कर स्थिति योजना मानचित्र में अंकित की गई है।

डेडीकैटेड सलाहकार फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

योजना की भूमि की रा0भू0रा0 अधिनियम की धारा 90अ(8) की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणिकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की सम्बन्धित भूमि हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्णय आदेश क्रमांक दिनांक के तहत जारी किया जा चुका है।

नाम एवं पद
राजस्व पटवारी/अधिकारी

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देश के तहत बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र रवीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम
खसरा संख्या मय रकबा
नियमन योग्य
कुल राजस्व क्षेत्रफल
वार्ड/सेक्टर संख्या

SCALE: - 1"=40'/एकीकृत
ले आउट प्लान से सम्बन्धित प्रकरण में मौका स्थिति अनुसार पठनीय स्केल



DRAWING NO.:-

ड्राफ्ट्समैन/जिला नगर नियोजक/कनिष्ठ/सहायक अभियंता

समापति/अध्यक्ष/सचिव/उपायुक्त/आयुक्त/अधिसाक्षी अधिकारी

नोट:- कृपया निम्न की पालना सुनिश्चित करें:-

- (i) सुपरइम्पोजिशन :- 1 खसरा प्लान
2 मास्टर प्लान
3 गुगल नक्शे पर

(ii) योजना क्षेत्र में सड़कों की विद्यमान चौड़ाई

(iii) विद्यमान एच.टी. लाईन (केवल 33 केवीए एवं इससे ऊपर) की वस्तुस्थिति

(iv) चूंकि पूर्ण निर्मित/अर्द्ध निर्मित/रिक्त भूखण्ड इत्यादि समस्त स्थिति में पट्टा जारी किया जाना है पूर्ण/आंशिक बिल्टअप भूखण्डों के लिए पूर्ण प्लॉट क्षेत्रफल में हेचिंग दर्शाये।

(v) बाउण्ड्रीवाल एवं रिक्त भूखण्ड को खाली दर्शाये (बिना हैचिंग)

(vi) ले आउट प्लान में सामान्य जानकारी यथा सड़क का प्रकार, एल.टी. लाईन, ट्रांसफार्मर, मोबाईल टावर, प्रत्येक भूखण्ड का नाप व क्षेत्रफल एवं अन्य इत्यादि दर्शाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इसकी जानकारी फर्म द्वारा प्रत्येक भूखण्ड हेतु तैयार साईट प्लान में मौका स्थिति के अनुसार इंगित की जावेगी।

(vi) निम्न के खसरा नं. स्पष्ट करे

1- राजकीय भूमि, 2. नदी, नाले, तालाब, केचमेंट एरिया व अन्य प्रतिबन्धित क्षेत्र इत्यादि से सम्बन्धित खसरा नं.

2- योजना से गुजर रहे राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग को योजना के क्षेत्रफल की गणना से पृथक रखा जावे।

महत्वपूर्ण नोट: उपरोक्त ले आउट प्लान फोर्मेट जारी होने की दिनांक के पश्चातवर्ती प्राप्त होने वाले ले आउट प्लान में लागू किया जाना अनिवार्य होगा।

Handwritten signature or mark.

कार्यालय प्राधिकरण/न्यास/नगर निगम / परिषद / पालिका

प्रारूप-9

90 क (8) के अधीन मामले की संवीक्षा के लिए रूपविधान
(भूखण्ड नियमन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 90-क(8) राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम, 1956)

चैक मीमो

नोट: यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं मौका स्थिति सर्वेक्षण के अन्तर्गत समस्त दस्तावेजों का संकलन कर पत्रावली सम्बन्धित लिपिक को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

डेडीकेटेड सलाहकार फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

क्र०स०	विशिष्टियां	रिपोर्ट	हस्ताक्षर
1.	आवेदक का नाम	अभिलेख के अनुसार सही/गलत	
2.	आवेदक का पता	अभिलेख के अनुसार सही/गलत	
3.	आवेदन की प्राप्ति की तारीख और पृष्ठों की कुल संख्या.....	आवेदन तारीख को प्रस्तुत किया गया और आवेदन के साथ पृष्ठों की कुल सं. है।	
4.	पी.ओ.ए./कम्पनी/फर्म की दशा में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के ब्यौरे (यदि लागू हो तो)	आवेदक ने पृ./..... से पृ./..... तक पर रखे गये वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये हैं।	
5.	आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न दस्तावेज		
	(i) विक्रय विलेख/विक्रय करार/ वसीयत/ मुख्तारनामे की प्रति / सोसायटी पट्टा /अन्य दस्तावेज	प्रति पृ./..... से पृ./..... तक पर रखी है	
	(ii) साईट प्लान	प्रति पृ./..... से पृ./..... तक पर रखी है	
	(iii) सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित शपथपत्र	प्रमाणित प्रति पृ./..... से पृ./..... तक पर रखी है	
	(iv) सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र	प्रति पृ./..... से पृ./..... तक पर रखी है	
	(v) आवेदन के साथ प्राप्त अन्य दस्तावेजों के ब्यौरे		
		लिपिक के हस्ताक्षर (क्र.सं. 1 से 5)	
6.	भूमि के ब्यौरे	तहसील..... ग्राम..... खसरा सं. क्षेत्र.....	
(i)	कालोनी /योजना का नाम (यदि उपलब्ध हो)		
(ii)	भूखण्ड संख्या (अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार, अगर ले आउट प्लान में नवीन नम्बर दर्शाये गये हैं तो पुरानी अनुमोदित योजनाओं के पुराने नम्बर नये नम्बरों के साथ ब्रेकेट में दर्शावे)		
(iii)	जोन/वार्ड/सैक्टर संख्या		
(iv)	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल		
(v)	भूखण्ड के नजरीय नक्शे मय चारों भुजाओं की माप	कृपया संलग्न साईट प्लान सी/..... पर प्रस्तुत का अवलोकन करें।	
(vi)	भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद तो विचाराधीन नहीं है के बारे में आवेदन पत्र के अनुसार सूचना	सी/..... पर प्रस्तुत आवेदन पत्र अथवा स्थल से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई विवाद है/नहीं है, अगर है तो उसकी सूचना सी/..... पर उपलब्ध है।	

(vii)	भूखण्ड के नियमन के सम्बन्ध में यदि अन्य कोई आपत्ति या विवाद हो तो उसका विवरण	मौका सर्वेक्षण के अनुसार भूखण्ड पर विवाद है/ नहीं है।	
कनिष्ठ अभियंता के हस्ताक्षर (क्र.सं. 6)			
7.	नियमों के अधीन निक्षिप्त रकम के ब्यौरे	चालान सं. तारीख..... रु....., जिसकी प्रति पृ.....पर रखी है	
(i)	नियमन योग्य क्षेत्रफल		
(ii)	वर्तमान प्रीमियम दरों से राशि की गणना उपयोग	भूखण्ड क्षेत्रफल	दर राशि
	(i)
	(ii) नाम प्रतिस्थापन/हस्तांतरण शुल्क
	(iii) राजकीय / अवाप्तशुदा भूमि की नियमन राशि
	(iv) ब्याज
	(v) नियमन हेतु देय कुल राशि
	(vi) एक वर्षीय लीज की राशि (यदि आवेदक द्वारा एक मुश्त राशि जमा नहीं करवाई जावे तो
	(vii) एक मुश्त 8 वर्ष की लीज की राशि
	(viii) आवेदक द्वारा जमा करवाई गई राशि वर्तमान में पूर्व में
	योग जमा करवायी गयी राशि
	शेष राशि यदि कोई हो
	आवेदक ने शेष राशि रुपये	जरिये चालान नम्बर	दिनांक
	को जमा करवा दी है। अब कोई राशि भुगतान से शेष नहीं है।		
8.	राज्य स्तरीय समाचार पत्र में लोक सूचना प्रकाशित किये जाने के संदाय के ब्यौरे	चालान सं. तारीख रु..... जिसकी प्रति पृ.....पर रखी है	
लेखाशाखा के सम्बन्धित लिपिक/अधिकारी के हस्ताक्षर			

1. भू आवन्टन पत्र जारी किया जावे।
2. भूमि पट्टा विलेख जारी किया जावे।
3. शहरी जमाबन्दी मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकरण/न्यास/नगर निगम
/ परिषद / पालिका

५९

नगरीय निकाय का नाम :

साईट प्लान (केवल 90-अ(8) से सम्बन्धित भूखण्डों के नियमन हेतु)

योजना का नाम :

भूखण्ड संख्या :


राजस्व ग्राम/तहसील :

जिला :

भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में) :

पैमाना: 1 इंच = 40 फीट

उत्तर दिशा



कनिष्ठ अभियन्ता

डेडिकेटेड कन्सलटेन्ट
(फर्म का नाम)

नोट:- भवन मानदण्ड प्रचलित भवन विनियम अनुसार देय होंगे।

- नोट: (i) समस्त नाप फुट में एवं क्षेत्रफल वर्ग गज में दर्शाये।
(ii) उत्तर दिशा मार्क करें।
(iii) भूखण्ड के चारों तरफ की वस्तुस्थिति यथा सड़क/अन्य भूखण्ड संख्या/सुविधा क्षेत्र/अन्य इत्यादि दर्ज करें।

✍

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(50)नविवि/03/2012

जयपुर, दिनांक:03.09.12

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अनुसार पट्टा विलेख ऐसे प्ररूप में होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे। अतः उक्त प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न परिशिष्ट के अनुसार पट्टा विलेख विनिर्दिष्ट किया जाता है।
संलग्न-पट्टा विलेख का प्ररूप।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आर.के. पारीक)
उप शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा. शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा. शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
6. शासन उपसचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य, नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश की प्रति समस्त नगर निगमों/नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं को भिजवायें।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव-द्वितीय

४

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(50)नविवि/03/2012

जयपुर, दिनांक:03.09.12

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अनुसार पट्टा विलेख ऐसे प्ररूप में होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे। अतः उक्त प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न परिशिष्ट के अनुसार पट्टा विलेख विनिर्दिष्ट किया जाता है।
संलग्न-पट्टा विलेख का प्ररूप।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आर.के. पारीक)
उप शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा. शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा. शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
6. शासन उपसचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य, नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश की प्रति समस्त नगर निगमों/नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं को भिजवायें।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव-द्वितीय



कार्यालय

(नगर निकाय का नाम)

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन 'जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास/नगर परिषद/नगर पालिका मण्डल (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री पुत्र श्री जाति व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात्:-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि:- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या

आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :

राजस्व ग्राम :

खसरा नम्बर :

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/

मीटर.....

पूर्व.....पश्चिम.....भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो.....

सीमा उत्तर.....दक्षिण.....मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20.....के माहके.....वें दिन

श्री.....

.....के निम्न की उपस्थिति

में (स्थान) में हस्ताक्षर किये—

साक्षी :-

1. नाम

पुत्र

व्यवसाय.....

निवास स्थान.....

2. नाम

पुत्र

व्यवसाय.....

निवास स्थान.....

आज सन् 20.....के माहके.....वें दिन

श्री.....

.....के निम्न की उपस्थिति

में (स्थान) में हस्ताक्षर किये—

साक्षी :-

1. नाम

पुत्र

व्यवसाय.....

निवास स्थान.....

2. नाम

पुत्र

व्यवसाय.....

निवास स्थान.....

Chaitan
अनुभूत/अधिकारी अधिकारी
नगर निकाय—प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

अपक्ष/
तृतीय/
महापौर

साक्षी

साक्षी

(लीजधारक — द्वितीय पक्ष)

साक्षी

साक्षी

X